न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1490–तीन/06 विरूद्व आदेश दिनांक 17–5–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 802/2001–02 अपील

लल्लन चन्द्र जैन पुत्र जिनवर
निवासी अमरपाटन तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– प्रमलाल गुप्ता 2– छोटेलाल गुप्ता
3– सुश्री मीना गुप्ता 4– सुश्री सुनीता गुप्ता
सभी पुत्र/पुत्रियां सुन्दरलाल गुप्ता
निवासी अरमपाटन जिला सतना
5– मध्य प्रदेश शासन ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री पी0के0तिवारी)

आ दे श
(आज दिनांक 11–8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण 802/01–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–5–2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार अमरपाटन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग रखी कि नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 67 आदेश दिनांक 2–11–44 से अमरपाटन की भूमि सर्वे कमांक 128/1 रकबा 1.10 ए. पर उसके पिता का नाम हुआ था। अब उसका नाम दर्ज किया जाय। तहसीलदार अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 232 अ–74/99–2000 में पारित आदेश दिनांक

12—1—2001 से आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 105 / 2000—01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—7—2002 से अपील स्वीकार की तथा उक्तांकित आराजी पर आवेदक का नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग,रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण 802 / 01—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—5—2006 से अपील स्वीकार की तथा अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के आदेश दिनांक 29—7—02 को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 12—1—01 को स्थिर रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/　निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/　उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा तहसीलदार अमरपाटन के प्रकरण कमांक 232 अ—74 / 99—2000 में पारित आदेश दिनांक 12—1—2001 , अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन व्दारा प्रकरण कमांक 105 / 2000—01 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—7—2002 एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण 802 / 01—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—5—2006 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अमरपाटन स्थित भूमि सर्वे कमांक 128 / 1 रकबा 1.10 ए. के सम्बन्ध में उभय पक्ष के बीच स्वत्त्व संबंधी व्यवहार वाद लम्बित है एंव मौके पर भूमि रिक्त पड़ी हुई है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 17—5—2006 में विवेचित किया है कि इसी भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी तहसील न्यायालय में प्रकरण चला है तथा अपील / निगरानी में प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय तक गया है एंव भूमि सर्वे कमांक 128 / 1 रकबा 1.10 ए. का स्वत्त्व विवाद व्यवहार न्यायालय में प्रचलित होने से राजस्व न्यायालय व्दारा (मौके पर रिक्त पड़ी भूमि पर) स्वत्त्व किसका है — विवाद का निराकरण संभव नहीं है क्योंकि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश

राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है और जैसे ही व्यवहार न्यायालय से स्वत्व के संबंध में अंतिम विनिश्चिय होगा, राजस्व न्यायालय अमल हेतु बाध्य है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण 802 / 01—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—5—2006 में निकाले गये निष्कर्षो में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण 802 / 01—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—5—2006 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर